(ii) REPORTED DEFORESTATION OPERATIONS AND INDISCRIMINATE FELLING OF TREES.

**श्री हरिशंकर महाले** (मालेगांव) : उपाध्यक्ष महोदय मैं नियम 377 के अन्तर्गत आपके माध्यम से सभा का ध्यान एक महत्व-पूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह विषय आज हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व रखता है। संपूर्ण राष्ट्र के लिए यह महत्वपूर्ण है। यह विषय है देश में जंगलों की बरबादी और अविवेक ढंग से पेड़ों की कटाई।

देश में कुल जमीन 82 कोटि एकड़ है उसमें से 27 कोटि एकड़ जमीन वन के विस्तार के लिए चाहिए। आज सचमुच 18 कोटि एकड़ जमीन ही वन विस्तार में है। हमारी योजना थी कि हम 33 प्रतिशत जमीन में वनों का विस्तार करेंगे। लेकिन वह नहीं हो सका। वनों के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किये गये हैं। पौदे लगाने के नाम पर, लकड़ी के उत्पादन के नाम पर, और वनों की रक्षा करने के नाम पर पिछली सरकार ने करोड़ों रु० बरबाद किये लेकिन परिणाम कुछ नहीं हुआ। हमारे देश में यह लज्जा की बात है कि यहां जंगल समाप्त होने जा रहा है। जिस हिमालय पर्वत का हमारे ऋषि-मुनियों ने वर्णन किया है, जिसकी महिमा से पुराने शास्त्र और काव्य-ग्रन्थ भरे पड़े हैं, जिसकी कन्दराओं में बैठ कर हमारे पूर्वज तपस्या, अराधना, और चिंतन करते थे आज वह हिमालय सर्वथा बदल गया है। जहां से अनेक नदियां और सरितायें प्रवाहित होती हैं वह अब शुष्क, बंजर और वृक्षहीन होता जा रहा है। यह वस्तुतः बड़े दुःख की बात है। वैसी ही स्थितियां विंध्याद्री की, सातपुड़िया की और सहयाद्रि की हैं। जंगल के रूप से सोना देने वाले नगाधिराज अभी तो नग्न हो गये है, और उनके नग्न होने से देश नग्न हो गया है।

वनों के आसपास 5 करोड़ आदिम जाति के लोग रहते है। जंगलों पर अभी तक निर्भर करते थे। वह तो खाली किये हैं, क्योंकि जो आज सुविधा से वंचित हैं, सभ्यता से दूर हैं, वैज्ञानिक सुविधा से वंचित हैं, शिक्षा के बारे में वंचित हैं, रोजगार के बारे में वंचित हैं। जंगल में कभी कभी रोजगार मिलता है तो खाली 90 पैसे और एक रुपया मिलता है।

सब राजकीय दल आदिम जाति के लिये बहुत कुछ सोचते हैं। पिछली प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी तो आदिम जाति का नाम लिये बगैर, पानी ही नहीं पीती, अन्न भी नहीं खाती। लेकिन पिछली सरकार की नई वन नीति आदिवासी अर्थ-व्यवस्था को क्षत-विक्षत करने लगी हैं, नये वन-विकास मंडलों की स्थापना से दूर-दूर तक जंगलों को साफ किया जा रहा हैं। उनकी कुल्हाड़ी आदिवासी के हृदय को तोड़ती जा रही है। अस्मत को रौंदते जा रहे हैं। हमारे वन क्षेत्रों का यह चीत्कार कभी बाहर नहीं सुनाई देता हैं। हमारे अखबारों के प्रतिनिधियों की निगाहें वहां तक नहीं पहुंचती है। शायद आज का मेरा बोलना भी कहीं कागजों के ढेर में पड़ा न रह जाय और हमारे कंठ को चिनगारी बन कर ही धधकना न पड़े।

मैं इस सदन के सामने यह रखना चाहता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था को नेस्तनाबूद करने की राह क्यों बनी? हमें वनवासी कहा जाता है, पर हमारे वन हम से अंग्रेजों के जमाने से भी छीन लिये गये थे। आज भी हम अपने घर में ही बेघर हैं। उत्तरपूर्व में अभी भी, वनों पर आदिवासियों का अधिकार है, हम उसमें पैर भी नहीं रख सकते है।

हमारे वनों की योजना विश्व बैंक के द्वारा बनाई गई है। विश्व बैंक को हमारे क्षेत्रों के बारे में क्या मालूम है। हमारे दिल्ली और बम्बई के विश्व बैंक भी कुछ नहीं जानते हैं। आदिवासी क्षेत्रों के बारे में इसलिए इतना धन व्यय होता हैं और परिणाम उल्टा होता हैं।

[श्री हरीशंकर महाले]

अभी हमारे श्री धनिक लाल मंडल जी ने दौरा किया था और उन्होंने यह पाया कि जन सामान्य को आयोजन में कोई स्थान नहीं। ऊपर से योजना थोप दी जाती हैं। वनों के मामले में हम एक कदम और आगे बढ़ गये। विश्व बैंक के विशेषज्ञ आ गये और उनकी आंखों के सामने हमारी समस्या कुछ नहीं। वास्तव में वे विदेशों की आवश्यकता के अनुरुप हमारे वनों को बनाना चाहते हैं। हमारी आवश्यकता के अनुसार नहीं।

उद्योग मंत्री जो विकेन्द्रीकरण के लिए कृत-संकल्प हैं, पर आदिवासी क्षेत्रों के वनों की योजना अमरीका से, विश्व बैंक से बनती है। हमें कुछ पता भी नहीं। इसमे अमरीकी साजिश भी हैं, फोर्ड फाउन्डेशन हमारे वनों में अपने आदमी घुसाना चाहता हैं। इन नये वन-विकास मंडलों में खुद फारेस्ट अफसरों को ऊंचे पद मिलते हैं, कुछ सरकारी अफसरों को अमरीका जाने को मिलता है।

क्या मैं इस सदन से दरख्वास्त करूं कि एक नीति बनाई जाये कि आदिवासी क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं और विदेशी संस्थाओं से कोई सरोकार न रखा जाए। वहां की नीति हम अपने हितों को देखते हुए बनाएं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : नियम 377 के अन्तर्गत जो मामले उठाये जाते हैं, उन पर बहुत ही संक्षेप में बोला जाता है, आप जल्दी खत्म कीजिये।

**श्री हरी शंकर महाले** : थोड़ा समय दीजिये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कोई भाषण होता तो आप समय ले सकते थे।

मैं आग्रह करना चाहता हू इस सदन से कि अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी संस्थाओं का आदिवासियों से कोई सरोकार न रहे। नये वन-विकास मंडलों का काम तुरन्त रोका जाय और उसका पुनरीक्षण किया जाय। वनों का विकास आदिवासियों के हित में हो न कि आदिवासी वनों के विकास में आहुति दे दिए जायें। वनों में आदिवासियों को पूरे अधिकार दिए जायें। वनों के प्रशासन में आदिवासियों को समानता का दर्जा दिया जाय। साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हू कि वनों के बिना वर्षा नहीं हो सकती हैं, वनों के अभाव में बाढ़ को नहीं रोका जा सकता हैं और वनों के अभाव में प्रति रक्षा का काम नहीं हो सकता, उद्योगों का विस्तार नहीं हो सकता है, इंडस्ट्रीज नहीं खड़ी हो सकती है। इसलिए जंगल तो मंगल है। आदिम जाति के लोग जंगल में रहते है। दोनों की रक्षा करना देश के हित में है।

सभापति महोदय ने मुझे ज्यादा से ज्यादा समय दिया, उसके लिए मैं आभारी हू। धन्यवाद

### (iii) Reported move to shift Tractor Factory from Pratapgarh

**श्री रूप नाथ यादव (प्रताप गढ़)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन एक लोक महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हू और आप के माध्यम से उद्योग मंत्री का और श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हू। प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश का अति पिछड़ा जिला है। वहां एक ट्रैक्टर फैक्ट्री लगाने की योजना आयोग से स्वीकृत हुई। उस का काम भी 1977 में शुरु हुआ और सरकार का पचासों लाख रुपया खर्च हो गया। उस के बाद अब उस फैक्ट्री को वहां से हटाने या उस को बन्द करने का प्रश्न विचाराधीन है। इस से वहां की जनता में बड़ा असंतोष है। वह जिला बेरोजगारी और गरीबी से पीड़ित है। वहां अगर एक ट्रैक्टर का कारखाना खोल दिया जाता हैं तो ढाई हजार शिक्षित लोगों को वहां काम मिलेगा और बेरोजगारी की समस्या हल होगी। जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया है कि दस साल में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को दूर करेगी।